दिल्ली परिवहन निगम
प्रशासन विभाग,इन्द्रप्रस्थ मुख्यालय,नई दिल्ली–110001

दिनांक 16.06.2017 राष्ट्रीय सहारा अखबार की प्रेस कतरन
"जनता से नहीं मिलने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज"

मुख्य मंत्री के निर्देश के बावजूद दिल्ली सरकार के अधिकारी जनता की समस्या सुनने के लिऐ समय नहीं दे रहें हैं। इस पर अपनी नाराजगी जताते हुऐ मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मुख्य सचिव एम.एम.कुट्टी को ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने कहा है। केजरीवाल ने कुट्टी को भेजे निर्देश में कहा है कि जनता के माध्यम से सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ अफसर लोगों से मिल ही नहीं रहें हैं। उन्होने कुट्टी से ऐसे अफसरों की पहचान कर इनके खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल ने हाल ही में सभी मंत्रियों और अधिकारियों को प्रतिदिन एक धंटे का समय जनता से मिलने के लिऐ नियत करने को कहा था। इस आदेश को एक जून से प्रभावी किया गया है। इसके तहत केजरीवाल सहित सरकार के हर मंत्री और विभाग प्रमुख सहित सभी अधिकारियों को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनना और उनका निराकरण करने को कहा गया था। केजरीवाल ने निर्देश में कहा कि मैने अपने पूर्व आदेश में कहा था कि सभी अधिकारी कार्यालय में नियत समय पर जनता से मिलने के लिऐ उपलब्ध रहेंगें। मुझे पता चला है कि तमाम अधिकारी इसका पालन नहीं कर रहें हैं। केजरीवाल ने इसके लिऐ मुख्य सचिव को ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करने व सख्त चेतावनी जारी करने और आदेश का पालन सुनिश्चित नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहने का निर्देश जारी करने को कहा है। इसके अलावा केजरीवाल ने एम.एम.कुट्टी से जनता को मिलने का समय मांगें बिना मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात करने की इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिऐ कार्यालयों के बाहर जनता से मिलने के समय का स्पष्ट उल्लेख करने को कहा है। यह उल्लेख मंत्रियों और अधिकारियों के दफतर के बाहर एक तख्ती लगाकर किया जाए। तख्ती पर फोन नम्बर का भी जिक किया जाये जिस पर संबद्ध मंत्री और अधिकारी के नहीं मिलने पर काल कर शिकायत की जा सके। मुख्य मंत्री ने मुख्य सचिव को जनता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिऐ उपलब्ध कराऐ जाने वाले टेलीफोन नंबर पर आने वाली काल को रिकार्ड कर इसका ब्यौरा मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने को भी कहा है। उन्होने जनता तक सरकार की पहुच सर्व सुलभ बनाने के लिऐ शुरू की गयी पहल को बेहद जरूरी बताते हुए मुख्य सचिव से कहा है कि इसे लागू करने में किसी भी तरह की लापरवाही को सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा।

दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ मुख्यालय,नई दिल्ली–110002

पत्र सं0.प्रशा0/2017/501 दिनांकः–19/06/2017

सभी अधिकारियों को सूचना एंव उचित कार्यवाही हेतू प्रेषित।

उप मुख्य महा प्रबन्धक (प्रशासन)

<u>समस्त विभागाध्यक्ष</u>
<u>समस्त उप मुख्य महा प्रबन्धक</u>
<u>समस्त डिपो प्रबन्धक/यूनिट अधिकारी</u>

<u>प्रतिलिपिः– अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक के सचिव : सूचनार्थ।</u>